न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 01/2025/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोटा बून्दी
दायरा दिनांक 07.02.2025
अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

गोपी पुत्र रोडू जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिंघाड़ी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी

...रेस्पो0

उपस्थित : श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक –अपीलार्थी
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 27.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 104/प्रा0पत्र/2014 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली बनाम गोपी में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर "आवंटी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त न होकर अन्य व्यक्ति धन्ना, कंवरा का कब्जा होने पर" अपीलार्थी गोपी को किये गये भूमि आवंटन दिनांक 12.11.1975 ग्राम सिंघाड़ी में आराजी खसरा सं0 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का निरस्त किये जाने अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 12.11.1975 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 15.06.2015 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी के निर्णय दिनांक 15.06.2015 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम सिंघाड़ी में आराजी खसरा संख्या 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा अपीलार्थी को दिनांक 12.11.1975 को आवंटन हुयी थी। आवंटन होने के बाद से ही

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा आवंटन के बाद से हमेशा आवंटन शर्तों की पालना की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2015 वस्तुस्थिति विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पो. द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के आवंटन को निरस्त करने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया और अपीलार्थी को इस सबंध में कुछ भी नहीं समझाया गया तथा मौखिक रूप से यह कहा गया कि उक्त पत्रावली में अपीलार्थी की उपस्थिति मात्र होनी है। अपीलार्थी एक अनपढ व्यक्ति है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जैसा समझाया गया कि वैसे एक बार उपस्थित होकर चला गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2015 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी को दिनांक 12.11.1975 को प्रश्नगत आराजी का आवंटन हुआ था। आवंटी गरीब व्यक्ति है। आवंटित भूमि पर धन्ना, कंवरा वगैराह का कब्जा नहीं था, जबकि धन्ना स्वयं तो अपीलार्थी को उक्त आराजी आवंटन किये जाने के समय गवाह अंकित था। इस प्रकार वर्ष 1975 में हुये आवंटन को 40 वर्षों के पश्चात् अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त होने से आवंटन निरस्त करना न्यायोचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आवंटन आदेश पर भूमि–आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होना प्रकट किया है, जबकि बाद में अपीलार्थी को उक्त आराजी का कब्जा संभलाया गया है तथा गैरखातेदारी में दर्ज की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2015 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार हिण्डोली के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर "आवंटी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त न होकर अन्य व्यक्ति धन्ना, कंवरा का कब्जा होने पर" अपीलार्थी गोपी को किये गये भूमि आवंटन दिनांक 12.11.1975 ग्राम सिंघाड़ी में आराजी खसरा सं0 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा का निरस्त किये जाने अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने तथा आवंटन आदेश पर भू–आवंटन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने को आधार मानकर अपीलार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 12.11.1975 को निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 15.06.2015 पारित किया गया। इस संबंध में अपीलार्थी की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में भू–आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 17.11.1975 को जारी की गई आवंटन–आदेश की प्रमाणित प्रति पेश की गई। उक्त आदेश के अवलोकन से प्रकट होता है कि भूमि–आवंटन अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश हस्ताक्षरित करते हुए दिनांक 17.11.1975 को आवंटन–आदेश जारी किया गया है, जिससे आवंटन किये जाने की पुष्टि होती है। साथ ही 40 वर्षों के पश्चात् आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने के आधार पर आवंटन निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्ण प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 104/प्रा0पत्र/2014 बउनवान सरकार जरिये तहसीलदार, हिण्डोली बनाम गोपी में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 को अपास्त किया जाता है। आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1975 आराजी खसरा सं0 96 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सिंघाड़ी बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा